न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया RAS

GCMS संख्या 2021 / 194

प्रकरण संख्या 53 / 21

अनवान

श्रीमती नानीवाई **बनाम** **श्री मोहन**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता

— : :आदेशः : — दिनांकः 29.10.2024

1. प्रार्थी / प्रतिवादी अधिवक्ता संख्या 1, 2 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने आप न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63 (1) (4) राज. टि.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर रखा है। उक्त वाद के साथ एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र टाईम बार्ड होकर मिथ्या अभिवचनों के आधार पर बिना वादकारण उत्पन्न हुए प्रस्तुत किया गया है। इसलिए उक्त वाद पत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्तर पर निरस्त योग्य है। वादीगण ने अपने वाद पत्र की कलम संख्या 1 व 2 में मिथ्या व मनगढत अभिवचन किये हैं तथा वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ठ (क) व (ख) व वाद पत्र की कलम संख्या 2 में अंकित कृषि भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता की स्वअर्जित खरीदशुदा एवं आवन्टनशुदा भूमि को बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के पैतृक सम्पति बताकर उक्त वाद प्रस्तुत किया है जो मिथ्या अभिवचन के आधार पर प्रारम्भिक स्तर पर निरस्त योग्य है। क्योंकि वाद पत्र की कलम संख्या 1 की परिशिष्ठ (क) में अंकित आराजी न. 159 रकबा 9 बिस्वा भूमि का 1 / 2 हिस्सा दिनांक 29.03.1974 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से 1200 / — बारह सौ रूपये प्रतिफल के एवज में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता भेरा पिता टीला द्वारा खरीदा गया है उक्त तथ्य स्वयं वादीगण भी स्वीकार करते हैं तो उक्त सम्पति पैतृक सम्पति कैसे हो सकती है, जिसका कि वैध रजिस्टर्ड दस्तावेज भी न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर प्रस्तुत है। इसी तरह से परिशिष्ठ (ख) में अंकित आराजी न. 262 रकबा 2 बिघा, 268 रकबा 1 बिघा 17 बिस्वा भूमि, कुल किता 2 कुल रकबा 3 बिघा 17 बिस्वा भूमि की संवत् 2004 की जामबन्दी मे भेरा वल्द टीला साकिन देह शिकमी का इन्द्राज है जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि पूर्व से ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिताजी के नाम शिकमी के रूप में अकेले दर्ज थी, उसके बाद संवत् 2019 से 2021 की जमाबन्दी में भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता भेरा जी की स्वअर्जित सम्पति होकर लगातार उनके अकेले का कब्जा काश्त चले आने से तथा उनके द्वारा भूमि को मेहनत कर विकसित करने से उनको शिकमी से खाते से मंजुरी होने का दिनांक 16.11.2012 का अंकन है तथा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता [illegible] स्वअर्जित सम्पति होकर लगातार उनके अकेले का कब्जा काश्त चले [illegible] तथा उनके द्वारा भूमि को मेहनत कर विकसित करने से [illegible] से खातेदारी अधिकार दिये गये जो प्रथम दृष्टया ही [illegible] दस्तावेज [illegible] से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:55:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित है तथा उक्त परिशिष्ट (क) व (ख) में अंकित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता भेरा जी का निधन होने के बाद उपरोक्त वर्णित दोनों आराजीयात नामान्तरण जरिये नामान्तरकरण संख्या 284/10.02.1983 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खोला गया यानि कि पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता तथा उनके निधन के बाद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त लगातार निर्बाधरूप से उक्त वर्णित आराजीयात खातेदारी हक व अधिकार से चली आ रही है।

2. यह कि वादीगण ने उनके पिता व प्रतिवादीगण के पिता के निधन होने व उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी हक से दर्ज होने के करीब 30 वर्ष बाद यानि कि वर्ष 2013 में उक्त मिथ्या अभिवचन अंकित करते हुए बिना किसी आधार पर, बिना कोई वाद कारण पैदा हुए मात्र प्रतिवादीगण के खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि से उनको महरूम करने के लिए उक्त मिथ्या वाद प्रस्तुत किया है, जो प्रारम्भिक स्तर पर निरस्त योग्य है। वादी ने अपने वाद पत्र की कलम संख्या 2 में अंकित आराजी न. 49 रकबा 2 बिघा 6 बिस्वा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की है, बिना किसी ठोस आधार के मात्र कयासी आधार पर, मात्र सजरे के आधार पर स्वअर्जित सम्पति को पैतृक सम्पति बनाने का मिथ्या प्रयास किया है तथा वादीगण ने जानबुझकर साबिक आराजी न. 269 रकबा 1 बिघा 3 बिस्वा भूमि जो आराजी न. 262 एवं 268 के पडौस में स्थित है, साबिक आराजी न. 269 के हाल आराजी न. 507, 508, 509 एवं 510 कुल किता 4 रकबा 0.2500 है, होकर उक्त आराजी न. 269 को वाद पत्र में छिपाया है क्योंकि उक्त आराजी पैतृक सम्पति होकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/4-1/4 हक, हिस्सा है तथा वादी एवं अन्य प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/40 एवं 1/10 हिस्से का अंकन होकर वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता के नाम का अंकन था, उनके निधन के पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादी के नाम अंकन हैं इससे भी स्पष्टतया इस बात को बल मिलता है कि वादी ने मात्र मिथ्या वाद पत्र बनाने की गरज से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता को कर्ता खानदान होने तथा पैतृक सम्पति बता कर बिना कोई वाद कारण पैदा हुए उक्त खातेदारी अधिकारों की घोषणा का मयाद बाहर वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रारम्भिक स्तर पर निरस्त योग्य है, क्योंकि यादि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता द्वारा पैतृक सम्पत्ति को कर्ता खानदान होने से तथा उस समय वादीगण के पिता के हिस्से को अपने अकेले के नाम से कराया जाता तो आराजी न. 269 में आज वादीगण व अन्य प्रतिवादीगण के नाम का अंकन नहीं होता जिससे भी स्पष्ट है कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता की स्वअर्जित सम्पति को मिथ्या आधारों पर मात्र सजरा प्रस्तुत कर कयासी आधार पर पैतृक सम्पति बता कर उक्त गलत वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसका कि वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है, मात्र वाद पत्र में वाद कारण उत्पन्न होना लिख देने मात्र से वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हो जाता है। इसलिये भी उक्त वाद पत्र प्रारम्भिक स्तर पर निरस्त योग्य है।

3. यह कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या [illegible] नाम वर्ष 1983 में उनके पिता भेरा जी की स्वअर्जित सम्पति में उनके [illegible] के पश्चात खुले नामान्तरकरण के 30 वर्ष बाद वर्ष 2013 में [illegible] वाद पत्र [illegible] किया है उक्त वाद पत्र मयाद बाहर होकर वादीगण ने अपने [illegible] के लम्बे समय के बाद उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने का कोई स्पष्ट एवं ठोस कारण दिन प्रतिदिन का अपने वाद पत्र के साथ प्रस्तुत कर दिये जाने से वादीगण को उक्त 30 वर्ष के लम्बे समय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:55:41 IST
Reason: SelfAttested

मयाद से छूट प्राप्त नहीं हो जाती है तथा वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में देरी का दिन प्रतिदिन कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया है ऐसे में उक्त वाद पत्र पूर्णरूप से मयाद बाहर होने से प्रारम्भिक स्तर पर निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण में वादी/अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया जिसमें बताया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र किसी भी तरह से टाईम बार्ड नहीं है एवं न ही मिथ्या अभिवचनो पर आधारित है। वादीगण द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है वह पुरी तरह से सही वाद कारण पर आधारित है एवं वादीगण का वाद तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र किसी भी तरह से प्रारंभिक स्तर पर निरस्त योग्य नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण के न्याय प्राप्ति में विलम्ब कारित करने के आशय से झूठे आधारों पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो पूरी तरह से खारिज योग्य है।

5. यह कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त कृषि भूमि की सारी वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया हुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब दावे के साथ काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया, जिस पर वादीगण द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब भी प्रस्तुत किया गया है एवं वादग्रस्त कृषि भूमि मे पक्षकारों के हक अधिकरों का निर्धारण प्रकरण के निर्णय से ही हो सकेगा। वादीगण द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है वह पुरी तहर से सही वाद कारण पर आधारित है एवं वादीगण का वाद किसी भी तरह से प्रारम्भिक स्तर पर निरस्त योग्य नहीं है एवं न ही मिथ्या अभिवचनो पर आधिारित हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं यह कथन कर रहे है कि उनको महरूम करने के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है जिससे ही स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भी इस बात को स्वीकार करते है कि उपरोक्त वाद के निर्णय से वादीगण को अपने हक अधिकार प्राप्त हो जावेंगे तथा उपरोक्त वाद वास्ते कायमी तनकीयात के स्तर पर आ चुका है एवं इसके बाद वादीगण की साक्ष्य प्रारंभ होगी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वास्तविक साक्ष्य को रोक कर देरी कारित करना चाहते है इसलिए इस स्तर पर इस प्रकार का मिथ्या पत्र पेश किया हैं।

6. यह कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में सारे अभिवचन वाद पत्र में किये हुए है जिनका जवाब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दिया जा चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का जवाब भी वादीगण द्वारा दिया जा चुका है, ऐसी स्थिति में वादीगण के वाद के एवं प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम के निर्णय से ही पक्षकारों के वास्तविक हक अधिकार तय हो सकेगें। वादीगण का वाद सही वाद सही वाद कारण पर आधारित है जो किसी भी तरह से मयाद बाहर नहीं है एवं न ही प्रारंभिक स्तर पर निरस्त योग्य हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

I. AIR 2016 DELHI 120 DELHI HIGH COURT SURENDRA KUMAR VS. DHANI RAM AND ORS.

II. RRT 2010(1) RRT 124 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER RAJU KANWAR & ORS. VS. BHAGWAN DAS & ORS.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:55:41 IST
Reason: SelfAttested

8. पत्रावली के अवलोकन व प्रार्थना पत्र के अध्ययन से पाया कि, अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत घोषणा व स्थाई निषधाज्ञा का पेश किया गया है जिसमें बताया कि वादग्रस्त आराजीयात 262, 268 किता 2 रकबा 3 बिघा 17 बिस्वा एवं आराजी न. 49 रकबा 2 बिघा 6 बिस्वा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त हिन्दु परिवार अविभाजित पैतृक जायदाद है जो हमारे मूल पुरुष स्वर्गीय श्री टीला जी के समय से चली आ रही है तथा इस भूमि में टीला जी के मरणोपरान्त टीला जी के दोनो ही पुत्र भेरा जी एवं बाबरीया जी हिस्से बराबर काबिज होकर काश्त करने लग गये तथा भेरा जी के मरणोपरान्त भेरा जी के हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज होकर काश्त कर रहे एवं बाबरिया जी के मरणोपरान्त बाबरीया जी के हिस्से की भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा हक छोड़ दिये जाने से वादी संख्या 1, 2, 7 एवं वादी संख्या 3 से 6 के पिता रूपलाल हिस्से बराबर से काबिज होकर काश्त करने लग गये एवं रूपलाल के फौत होने के बाद उसके हिस्से पर वादी संख्या 3 से 6 काबिज होकर काश्त कर रहे हैं साथ ही आराजी न. 159 रकबा 9 बिस्वा का 1/2 हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 के मोरूस बाबरीया जी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के मोरूस भेरा जी द्वारा संयुक्त रूप से खातेदार श्री नाथु जी से खरीद किया गया एवं खरीद से ही हिस्से बराबर से काबिज होकर काश्त करने लग गये। यह कि वादग्रस्त भूमि में स्वर्गीय टीला जी की फौत होने के बाद परिवार के कर्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता भेरा जी थे जिससे उन्होंने वादीगण के मोरूस बाबरीया जी के हक अधिकारों को नुकसान पहूचाने की नियत से वादग्रस्त भूमि में वादीगण के मौरूस बाबरिया जी का नाम अंकन नहीं करवाया जबकि इस पैतृक कृषि भूमि में वादीगण के मौरूस बाबरीया जी का नाम भी अंकित होना चाहीये था जिससे वादीगण द्वारा घोषणा व स्थाई निषधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का पेश कर बताया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ठ (क) व (ख) व वाद पत्र की कलम संख्या 2 में अंकित कृषि भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता की स्वअर्जित खरीदशुदा एवं आवन्टनशुदा भूमि को बिना किसी दस्तावेज़ी साक्ष्य के पैतृक समपति बताकर उक्त वाद प्रस्तुत किया है जो मिथ्या अभिवचन के आधार पर प्रारम्भिक स्तर पर निरस्त योग्य है। क्योंकि वाद पत्र की कलम संख्या 1 की परिशिष्ठ (क) में अंकित आराजी न. 159 रकबा 9 बिस्वा भूमि का 1/2 हिस्सा दिनांक 29.03.1974 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से 1200/– बाहर सौ रूपये प्रतिफल के एवज में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता भेरा पिता टीला द्वारा खरीदा गया है उक्त तथ्य स्वयं वादीगण भी स्वीकार करते हैं तो उक्त सम्पति पैतृक सम्पति कैसे हो सकती है, इसी तरह से परिशिष्ठ (ख) में अंकित आराजी न. 262 रकबा 2 बिघा, 268 रकबा 1 बिघा 17 बिस्वा भूमि, कुल किता 2 कुल रकबा 3 बिघा 17 बिस्वा भूमि की संवत् 2004 की जामबन्दी में भैरा वल्द टीला साकिन देह शिकमी का इन्द्राज है जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि पूर्व से ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिताजी के नाम शिकमी के रूप में अंकेन दर्ज थी। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति पेश की जिससे पाया कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 के मौरूस भेरा पिता टीला द्वारा दिनांक 29.03.2074 को आराजी संख्या 159 रकबा 9 बिस्वा का 1/2 हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया जिससे स्पष्ट है कि आराजी संख्या 159 रकबा 9 बिस्वा के 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता भेरा पिता टीला है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:55:41 IST
Reason: SelfAttested

जिससे वादीगण का उक्त आराजी बाबत कोई अधिकार साबित नहीं होता है न ही कोई वाद कारण उत्पन्न होता है। अभिवक्ता वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात 262, 268 किता 2 रकबा 3 बिघा 17 बिस्वा व आराजी संख्या 49 रकबा 2 बिघा 6 बिस्वा भूमि को पैतृक सम्पति का कथन कहा जबकि मेवाड़ सेटलमेंट जमाबंदी संवत् 2005 में आराजी संख्या 262, 268, 49 प्रतिवादी संख्या 1, 2 के मौरूस भेरा वल्द टीला बोला सा. देह शिकमी के नाम दर्ज रेकर्ड है तथा आगे चल कर जमाबंदी संवत् 2050–53 में वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज रेकर्ड हुई जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात पैतृक सम्पति नहीं है जिससे कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वादग्रस्त आराजीयात पैतृक सम्पति साबित हो। अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त AIR 2016 DELHI 120 DELHI HIGH COURT SURENDRA KUMAR VS. DHANI RAM AND ORS. में स्पष्ट किया है कि " This position of law along with facts as to how the properties are HUF properties was required to be stated as a positive statement in the plaint of the present case but if is seen that except uttering amantra of the properties inherited by defendant no. 1 being ancestral properties and thus the existence of HUF, tnere is no statement or a single averment in the plaint as to when this HUF which is stated to own the HUF properties :ame into existence or was created." साथ ही स्पष्ट किया कि this court is flooded with litigation where only self-serving are made in the plaint of existence of HUF and a person being a coparcener in any manner pleading therein the requisite legally required factual details as to how HUF came into existence. It is a sinequa non that pleadings must contain all the requisite factual ingredients of a cause of action, and once the ratios of judgments of the Supreme Court in the cases of Chander sen and Yudhishter comne in, the pre 1953 position and the post 1956 position has to be made clear, and also as to how HUF and its properties came into existence whether before 1956 or after 1956. It is no longer enough to simply state in the plaint after passing of the Hindu Succession Act, 1956, that there is a joint Hindu family or an HUF and a person is a coparcener in such an HUF/joint Hindu family for such person to claim rights in the properties as a coparcener unless the entire factual details of the cause of action of an HUF and each property as an HUF is pleaded." माननीय न्यायालय द्वारा अपने नि[illegible] याचिका में कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:55:41 IST
Reason: SelfAttested

के समस्त आवश्यक तत्व शामिल होने चाहिये मात्र साथ ही सम्पति की स्थिति भी स्पष्ट किया जाना चाहिये। याचिका में केवल यह बताना पर्याप्त नहीं कि सम्पति संयुक्त हिन्दु परिवार की है। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद में यह कहीं स्पष्ट नहीं किया की सम्पति किस प्रकार संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक भूमि है जिससे कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात पैतृक सम्पति नहीं है अधिवक्ता वादी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज अपने वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वादग्रस्त आराजीयात पैतृक सम्पति साबित हो। अतः प्रकरण में कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाता हैं तथा वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:55:41 IST
Reason: SelfAttested

डिकी व मुकद्ध में इब्तदाई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद सख्या : 53/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/194

अनवान

1. मु. नानीबाई पत्नि स्व. श्री बावरिया जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

2. श्री भगवानलाल पुत्र श्री बावरिया जाति रेगर (बोला) के बजाय–

2/1 श्री शम्भुलाल पुत्र स्व. श्री भगवानलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।

2/2 श्री कैलाश पुत्र स्व. श्री भगवानलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज।

2/3 श्री महेश पुत्र स्व. श्री भगवानलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

2/4 श्रीमती रेखा पुत्री स्व. श्री भगवानलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

2/5 श्रीमती गंगा पत्नि स्व. श्री भगवानलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

3. मु. गोपीबाई पत्नि श्री रूपलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

4. श्री किशनलाल पुत्र श्री रूपलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. के बजाय

4/1 श्रीमती मंजू पत्नि स्व. श्री किशनलाल जाति रेगर (बोला)निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

4/2 श्री कन्हैयालाल पुत्र स्व. श्री किशनलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

4/3 श्री अर्जुन पुत्र स्व. श्री किशनलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

4/4 श्रीमती मनीषा पुत्री स्व. श्री किशनलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

4/2 से 4/4 जरिये संरक्षक प्राकृतिक माता श्रीमती मंजू पत्नि स्व. श्री किशनलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

5. श्री सुरेश पुत्र श्री रूपलाल जाति रेगर (बोला)निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

6. श्रीमती निर्मला पुत्री श्री रूपलाल जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

7. श्री गणेश पुत्र श्री बावरिया जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. के बजाय–

7/1 मु. भंवरीबाई पत्नि स्व. श्री गणेश जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:55:41 IST
Reason: SelfAttested

7/2 श्री शिवलाल पुत्र स्व. श्री गणेश जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील ...
जिला उदयपुर राज.।

7/3 श्री यशवन्त पुत्र स्व. श्री गणेश जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील ...
जिला उदयपुर राज.।

7/3 जरिये संरक्षक प्राकृतिक माता मु. भंवरी पत्नि स्व. श्री गणेश जाति रेगर ...
निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

बनाम

1. श्री मोहन पुत्र श्री भेरा जाति रेगर (बोला)निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उद...
राज.।
2. श्री उंकार पुत्र श्री भेरा जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला उद...
राज.।
3. श्रीमती केशी पुत्री श्री बावरिया जाति रेगर (बोला) निवासी लूणदा तहसील कानोड जिला ...
उदयपुर राज.।
4. श्रीमती लाली पुत्री श्री बावरिया जाति रेगर (बोला)निवासी लूणदा तहसील कानोड जि...
उदयपुर राज.।
5. श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये भूमिधारी श्री तहसीलदार कानोड तहसील कानोड
जिला उदयपुर राज.।

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित:--
1 श्री मुकेश कुमार डांगी, अधिवक्ता वादी।
2 श्री ललीत जैन, अधिवक्ता प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 53/21 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसा लकतई रुबरु श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. मिनजानि बमुकामलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :- परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.10.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:55:41 IST
Reason: SelfAttested